न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)

प्रकरण संख्या –09/2024

1. राजस्थान राज्य जरिये बनाम तहसीलदार शाहपुरा, जिला शाहपुरा।

–प्रार्थी

1. श्री गोपाल पुत्र गोकल गाडरी निवासी देवखेडा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा।
2. सुश्री उदी पुत्री गोकल गाडरी निवासी देवखेडा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा।

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री शोभागनल कुमावत अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 03.04.2024

1. प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षीगण को ग्राम देवखेडा की आ.न. 22 कुल रकबा 1.00 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के पिता गोकल, रूपा पिता बरदा गाडरी को मिसल संख्या 1189/89 दिनांक 07.06.1989 को को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। जिसका नामा०सं० 198 दिना 30.06.1990 से रेकार्ड में गैर खातेदारी अमल दरामद हुआ है जिसके नये आराजी नम्बर 540 रकबा 0.25 है० बने हैं। ग्राम देवखेड़ा की उक्त आराजी नम्बर 540 रकबा 0.25 है० किस्म भूमि पेटा अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजियात पेटा होकर डूब क्षेत्र में है। उक्त आराजीयात अब्दुल रहमान बनाम सरकार से प्रभावित हैं। पेटा क्षेत्र होने से प्रतिबन्धित श्रेणी में है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पात्रता नहीं रखने से अप्रार्थीगण का आवंटन खारीज योग्य है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिकार पत्र पेश किया जाकर जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली है। विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की आंवटनशुदा आराजी संख्या 540 रकबा 0.25 हैक्टयर होकर विपक्षीगण के नाम पर गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व ही विपक्षीगण के दादा के नाम पर आंवटन हुई थी। उस समय से ही उक्त आराजियात पर जवाबदातागण कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। पटवार

जिला कलक्टर
शाहपुरा

हल्का द्वारा मौका पर्चा बिना प्रार्थी की उपस्थिति मे बनाया गया है, जो गलत है। उक्त आराजियात पेटा क्षेत्र मे नहीं होने से प्रतिबन्धित श्रेणी मे नहीं आती है। जवाबदाता विपक्षीगण को उक्त आराजियात का आवंटन आवंटन शर्तों के नियमों के अनुसार काफी वर्षों पूर्व आंवटन किया गया था, जिस पर लगातार जवाबदातागण दोनों फसलो की बुवाई कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं जवाबदातागण भूमिहीन काश्तकार है। भूमि आवंटन कराने की पात्रता की श्रेणी में आते है। इसलिए जवाबदातागण का आवंटन खारीज होने योग्य नहीं है। उक्त आराजियात मे जवाबदातागण दोनो फसले काश्त करके उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिसका स्पष्टीकरण राजस्व रेकार्ड की खसरा गिरदावरी मे स्पष्ट तौर पर दोनो फसले काश्त होना लिखा हुआ है, केवल मात्र जमाबदी मे पुराने राजस्व रेकार्ड के अनुसार पेटा लिखा गया है, जो गलत है। जबकि वर्तमान मे उक्त आराजियात पेटे मे नही आती है न ही उक्त आराजी तक कोई भराव क्षमता ही है। उक्त आराजियात अब्दुल रहमान बनाम सरकार से आदेश से प्रभावित नहीं होती है, न ही उक्त रूलिंग लागू होती है। इसलिए जवाबदातागण का आंवटन खारीज होने योग्य नही है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विपक्षीगण जवाबदाता का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारीज फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

3. विपक्षीगण द्वारा खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतियां सम्वत् 2044 से 2047, 2053 से 2056, 2057 से 2060, 2048 से 2051, 2052 से 2055, 2061 से 2064 की प्रस्तुत की, पासवुक की प्रति, नोटिस की प्रति प्रस्तुत की गई, तथा एक रूलिंग भी पेश की गई जो शामिल पत्रावली है।

4. प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षीगण को ग्राम देवखेडा की आ.न. 22 कुल रकबा 1.00 बीघा भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजियात पेटा होकर डूब क्षेत्र में है। उक्त आराजीयात अब्दुल रहमान बनाम सरकार से प्रभावित हैं। पेटा क्षेत्र होने से प्रतिबन्धित श्रेणी में है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पात्रता नही रखने से अप्रार्थीया का आवंटन खारीज योग्य है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

5. विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि आवंटनशुदा आराजी संख्या 540 रकबा 0.25 हैक्टयर होकर विपक्षीगण के नाम पर गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व ही विपक्षीगण के दादा के नाम पर आवंटन हुई थी। उस समय से ही उक्त आराजियात पर जवाबदातागण कृषि कार्य करते चले आ रहे है। उक्त आराजियात पेटा क्षेत्र मे नही होने से प्रतिबन्धित श्रेणी मे नही आती है। जवाबदाता विपक्षीगण को उक्त आराजियात का आंवटन आवंटन शर्तों के नियमो के अनुसार काफी वर्षों पूर्व आंवटन किया गया था, जिस पर लगातार जवाबदातागण दोनो फसलो की बुवाई कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है। इतना ही नही जवाबदातागण

जिला कलक्टर
शाहपुरा

भूमिहीन काश्तकार है। भूमि आवंटन कराने की पात्रता की श्रेणी में आते है। उक्त आराजियात मे जवाबदातागण दोनो फसले काश्त करके उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिसकी खसरा गिरदावरी की प्रतिया प्रस्तुत की गई है। जिसका स्पष्टीकरण राजस्व रेकार्ड की खसरा गिरदावरी मे स्पष्ट तौर पर दोनो फसले काश्त होना लिखा हुआ है, केवल मात्र जमाबंदी मे पुराने राजस्व रेकार्ड के अनुसार पेटा लिखा गया है, जो गलत है। जबकि वर्तमान मे उक्त आराजियात पेटे मे नही आती है न ही उक्त आराजी तक कोई भराव क्षमता ही है। उक्त आराजियात अब्दुल रहमान बनाम सरकार से आदेश से प्रभावित नही होती है, न ही उक्त रूलिंग लागू होती है। इसलिए जवाबदातागण का आंवटन खारीज होने योग्य नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विपक्षीगण जवाबदाता का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारीज फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

6. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में जो आदेश दिया है उक्त आदेश अनुसार तहसीलदार द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर आवंटन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त निर्णय में कहा गया है कि "All land shown as Drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as govt. land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. " इस प्रकरण में वर्ष 1947 की स्थिति बाबत तहसीलदार ने कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया है। पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम देवखेडा के आ.न. 540 कुल रकबा 0.25 है. भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त हैं। परन्तु भूमि की किस्म पेटा दर्ज होने से एवं भराव क्षेत्र में आने से वर्णित भूमि की श्रेणी में आती है। तथा प्रार्थना पत्र में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही करना बताया गया है। जबकि पटवारी हल्का द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट में मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त होना अंकित किया है। उक्त आराजियात मे जवाबदातागण दोनो फसले काश्त करके आंवटित भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी की प्रतियों से होती है। इस प्रकार आवंटी/विपक्षीगण आंवटित भूमि को कब्जा काश्त कर आंवटित शर्तो की पालना कर रहे है तथा उक्त भूमि की किस्म पेटा होने से एवं भराव क्षेत्र में आने का तथ्य है तो अगर उक्त भूमि किसी बाँध/तालाब के भराव क्षेत्र मे होती तो विपक्षीगण उक्त आंवटित भूमि पर दोनों फसले काश्त नहीं कर सकते थे। इसलिये जरूरी नहीं है की भूमि की किस्म पेटा होने मात्र से ही उक्त भूमि भराव अथवा बहाव क्षेत्र में आती हो। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना किया जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) अस्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतः

जिला कलक्टर
शाहपुरा

आदेश

7. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) वावत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का अस्वीकार कर किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

8. निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/4/24

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर,
शाहपुरा

जिला कलक्टर